न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 16/2017 GCMS NO 2017/00242
दायरा तिथि : 01.11.2017
आदेश तिथि : 26-5-2022

प्रार्थीगण :–

1. पुखराज पुत्र सेसारामजी जाति गरूडा
2. चतुर्भुज भारती पुत्र फतेहरामजी मेघवाल
3. गुलाबचन्द पुत्र रामचन्द्र जाति गरूडा
   निवासी धणी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–
मंगलसिंह, रतनसिंह पुत्रगण दलपतसिंहजी,
सायरकंवर, अन्तरकंवर, सुरजकंवर पुत्रिया दलपतसिंहजी
जातिगण राजपुत निवासीगण धणी तहसील बाली जिला पाली (राज0)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 26-5-2022

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि मौजा धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 89, 90, 91, 92 कुल रकबा 3.81 चाही प्रथम, जाव अव्वल में आवागमन के लिए रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी मंगलसिंह पुत्र दलपतसिंह जाति राजपुत निवासी धणी वगैरा की सहखातेदारी भूमि ग्राम धणी के खसरा नंबर 93 रकबा 0.25 हैक्टर किस्म **गै.मु. रास्ता** मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रैक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही हितबद्ध अप्रार्थी पक्ष को नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, खुडाला ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2018/484 दिनांक 12.03.2018 से निम्नानुसार रिप्रोर्ट पेश की :–

1.यह हैं कि आवेदक खातेदार पुखराज पुत्र सेसाराम जाति गरूडा निवासी धणी की धारित भूमि के खसरा नंबर 89, 90, 91, 92 कुल रकबा 3.81 हैक्टर में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य विकल्प नहीं है। प्रार्थी के द्वारा आवेदित खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 93 रकबा 0.25 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता श्री मंगलसिंह, रतनसिंह पुत्रगण दलपतसिंह जाति राजपुत के नाम की खातेदारी भूमि दर्ज है। उक्त भूमि मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही हैं।

2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानूसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	93	0.25 हैक्टर	गै.मु. रास्ता	2500 वर्गमीटर	मंगलसिंह, रतनसिंह पुत्रगण दलपतसिंह भंवरकंवर, अन्तरकंवर, सुरजकंवर पुत्रिया दलपतसिंहजी जातिगण राजपुत निवासीगण धणी तहसील बाली जिला पाली (राज0)

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम धणी की डी.एल.सी.दर 41300/– रूपये प्रति बीघा है। उप पंजियक, बाली में संधारित रेकर्ड के अनुसार वर्तमान डी.एल.सी. 300605/–रूपये प्रति हैक्टयर है।

4.प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष या निर्माण इत्यादि नहीं हैं, अतः अन्य कोई भी क्षति नहीं हैं

प्रकरण में वर्णित हितबद्ध अप्रार्थी मंगलसिंह को प्रोसेस सर्विस से जारी नोटिस तामील हुआ, तथा शेष के नोटिस प्रोसेस सर्विस से तामील नहीं हुये। अप्रार्थी मंगलसिंह व रतनसिंह ने दिनांक 08.05.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट धणी में व्यक्तिशः उपस्थित होकर सहमति प्रदान करने से प्रकरण में तलबी से शेष रही अप्रार्थीगण की बहनो यथा भंवरकंवर, अन्तरकंवर, सुरजकंवर को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भिजवाये गये। जिनकी तामील के बावजुद अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पेज लगातार...............02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 16/2017 GCMS NO 2017/00242

अनवान पुखराज वगैरा बनाम मंगलसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने से वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री गणपतसिंह राजपुरोहित ने तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को रास्ता उपलब्ध कराये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात जाहिर हैं कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में मौके पर आवेदित रास्ता के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं हैं। तथा प्रकरण यह भी स्वीकार्य तथ्य हैं कि वर्णित भूमि पहले से राजस्व रेकर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज है, मात्र अधिकार अभिलेखों में अप्रार्थीगण के निजी खातेदारी में दर्ज होने से प्रार्थी पक्ष को आवागमन मे बाधा होने से उक्त आवेदन पत्र पेश किया है, जिस पर तहसीलदार, बाली से जांच रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। जिससे तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, खुडाला द्वारा पत्रांकः राजस्व/2018/484 दिनांक 12.03.2018 से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थीगण की सह खातेदारी भूमि मौजा **धणी** तहसील बाली नंबर 89, 90, 91, 92 कुल रकबा 3.81 हैक्टर किस्म चाही प्रथम व जाव अव्वल में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम **धणी** के खसरा नंबर **93 मेंसे कुल 2500 वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि उप पंजियक कार्यालय बाली में संधारित रेकर्ड के अनुसार अद्यतन वर्तमान डी.एल.सी. अनुसार निम्नानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 300605/– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
93	0.25 हैक्टर	2500 वर्गमीटर	30.06	**75150X2= 150300**	मंगलसिंह, रतनसिंह पुत्रगण दलपतसिंह भंवरकंवर, अन्तरकंवर, सुरजकंवर पुत्रिया दलपतसिंहजी जातिगण राजपुत निवासीगण धणी तहसील बाली जिला पाली (राज0)

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **150300/– (अक्षरे एक लाख पचास हजार तीन सौ रूपये मात्र)** आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदार को अदा की जावेगी। प्रभावित खातेदार द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे सोहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक 26-5-22

कमॉक/कोर्ट(रास्ता)/2022/1287-91
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 खुडाला
3. पटवारी हल्का, धणी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील कार्यालय बाली
4. आवेदक प्रार्थी पुखराज पुत्र सेसारामजी जाति गरूडा निवासी धणी वगैरा को सूचनार्थ ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner